न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-52/2019/भीलवाडा (2019/00052)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा **(अपीलांट्स)**

बनाम

श्रीमती लाडी देवी पत्नी भंवरलाल विश्नोई निवासी पांसल रोड, जवाहर नगर, भीलवाडा(**रेस्पोडेंट)**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाडा दिनांक 17.05.2016 प्रकरण संख्या 286/2012.

उपस्थितः-

1. राजकीय अभिभाषक श्री आकाश पारीक अभि0 अपीलांट
2. श्री मदनलाल गुर्जर, अभि0 रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः-..............

अपीलांट तहसीलदार ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं।

वादग्रस्त भूमि मूलतः मोहम्मद याकूब पिता बहादुर खान के नाम दिनांक 05.01.1993 को 3 बीघा भूमि ग्राम पीथास में आवंटित की गई। आवंटन के समय आवंटी को उक्त 3 बीघा भूमि सुपुर्द की गई। जिससे बाद में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 08.12.2006 को वर्तमान रेस्पोडेंड द्वारा क्रय की गई। रेस्पोडेंड द्वारा एस डी ओ मांण्डल में धारा-131 लैण्ड रेवन्यु एक्ट के तहत प्रकरण संख्या (174/8) नक्शे मे सहीं तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या-3 में जवाब प्रस्तुत कर कहा है कि उक्त आराजी के बी[illegible] रोड के दूसरी तरफ भी इसी आराजी का कुछ हिस्सा उपस्थि[illegible] नक्शे में लाल स्याही से तरमीम किया गया है। [illegible] की कोई [illegible]आवश्यकता नहीं है। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 16.[illegible]2010 को विवादित आदेश [illegible] है। रेस्पोडेंड द्वारा [illegible] 24.08.2012 को (286[illegible] उपखण्ड अधिकारी माण्डल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था जिसमें पूर्व आदेश 16.02.2010 की पालना करवाने हेतु अंकन किया गया है। जिसमें अलॉटमेंट के अनुसार अक्षरशः पालना करवाकर नक्शे में तरमीम करने हेतु प्रार्थना की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

गई थी उक्त प्रकरण संख्या 286/12 दिनांक 17.05.2016 को लोक अदालत केम्प कोर्ट पीथास में निर्णित किया गया था।

वर्तमान अपील 52/2019 एस डी ओ माण्डल द्वारा दिनांक 17.05.16 प्रकरण संख्या 286/12 के निर्णय के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपील में प्रमुख बिन्दु जो इनके द्वारा उठाए गये है–1. प्रकरण 286/12 में प्रोसिडिंग में दिनांक 12.04.2016 के बाद अगली तारिख पेशी 10.05.2016 तय की गई थी। जिस पर आगे कोई तारिख दिये बिना सीधे ही 17.05.2016 को मौका रिकार्ड मंगवाकर प्रार्थीया लाडी देवी के पक्ष में गैर कानूनी निर्णय दिया गया। जो निरस्त योग्य है।

एस डी ओ के निर्णय 17.05.2016 का अवलोकन किया गया है जिसके अनुसार ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास में स्थित लाडी देवी खातेदारी आराजी नं2976/1608 के बीच में निकली सड़क चौड़ाई के बराबर रकबा सड़क में छोडते हुए सड़क के दोनों तरफ कब्जा अनुसार तीन बीघा रकबे के बराबर तरमीम दुरूस्त की जायें।

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0नं0 2976/1608 रकबा 03 बीघा मूलतः मोहम्मद याकुब पुत्र बहादुर खां को दिनांक 05.01.1983 को आवंटन की गई, आवंटन के समय मौके पर याकुब पुत्र बहादुर खां को 03 बीघा भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया, जिसे प्रार्थियां ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 08.12.2006 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। आवंटन के समय भूमि को नक्शे में पूरी 03 बीघा दर्शाया गया। पुराने नक्शे के मिलान करने पर उक्त भूमि नक्शे व मौके पर बराबर बैठ रही है किन्तु वर्तमान नक्शे में आराजी ख0नं0 2976/1608 का रकबा कम बैठता है यानि नक्शे में 03 बीघा के बजाय 2.06 बीघा ही तरमीम है इसलिए वक्त आवंटन के अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम किया जाना अतिआवश्यक है। उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की तत्पश्चात प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीथास में नियत कर दिनांक 17.05.2016 को निर्णित करते हुए प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये है।

2- यह कि अधिनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 12.04.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.05.2016 की गई थी पर आगे कोई तारीख दिये बिना ही सीधे दिनांक 17.05.2016 को मौका रिपोर्ट व रेस्पोडेंट (प्रार्थिया) के कथनों के आधार पर कानूनी प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है जिससे व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 19:48:00 IST
Reason: SelfAttested

3- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के अभिभाषक उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपील में देरी का विलम्ब का कारण विधान सभा आम चुनाव, लोक सभा चुनाव होने से पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो में व्यस्त रहे चूंकि तहसीलदार पद के साथ ही सहायक निर्वाचन एवं पंजीयन अधिकारी का कार्य भी है। उक्त अवधि के दौरान पीठासीन अधिकारी (तहसीलदार) लम्बी अवधि तक नहीं रहना एवं कम समय अवधि में ही स्थानान्तरण होना तथा अन्य को अतिरिक्त चार्ज देने के साथ साथ नायब तहसीलदार, माण्डल एवं बागौर का पद रिक्त होने से समयावधि में अपील प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो सका। अपील में हुआ विलंब सदभाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करने की कृपा करे।

5- धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय इस बात से सहमत है कि पद रिक्त होने,चुनाव होने एवं पीठासिन अधिकारी जल्दी-जल्दी स्थानांतरण से अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। तथा अपीलांटा प्रार्थना पत्र धारा 5 अन्दर मियाद मानते हुए देरी को क्षमा किया जाता है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

6- अपीलांट् के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीथास में दिनांक 17.05.2016 को मात्र रेस्पोडेंट/प्रार्थी की बहस व प्रतिवादी का जवाब एवं मौका रिपोर्ट का सरसरी तौर पर अवलोकन कर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 12.04.2016 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.05.2016 की गई थी पर आगे कोई तारीख दिये सीधे ही दिनांक 17.05.2016 को मौका रिपोर्ट व रेस्पोडेंट (प्रार्थिया) के निवेदन के आधार पर कानूनी प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।

7- अभि0 अपीलांट ने अपनी बहस [illegible] रखते हुए कथन किया कि मौका रिपार्ट में स्पष्ट अंकित था प्रार्थिया के आराजी ख0नं0 2976/1608 का रकबा पूरा है प्रार्थिया ने आराजी ख0नं0 2973/1608 किस्म चारागाह की भूमि रकबा 16 बिस्वा की हद तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट पर गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में भूल की है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र से इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उसकी खातेदारी के मध्य रास्ता किस प्रकार व किस विभाग द्वारा कब बना दिया गया जबकि राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ते का कोई विवरण ही दर्ज नहीं है। प्रार्थिया के ख0नं0 से संलग्न नक्शे में दोनो ओर नाली व नाला अंकित व जिसमें पडौसी के खसरा पर अतिक्रमण कर रखा है, वह राजस्व रेकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज है। जिस पर राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार खातेदारी दिया जाना प्रतिबंधित है। अधि0न्याया0 के निर्णय दिनांक 17.05.2016 की पालना कार्यवाही की जाने दौरान यह संज्ञान में आया कि न्याय, नियम, कानून के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय के निर्णय की पालना किया जाना सम्भव नहीं है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

8- विद्वान वकील रेस्पोडेंटस ने जवाब बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट/प्रार्थिया की अपने स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकारों की क्रयशुदा आराजी संख्या 2976/1608 रकबा 03 बीघा भूमि जो कि ग्राम पीथास में स्थित है में आराजी के बीच में सडक निकल जाने से उसका रकबा राजस्व नक्शे में कम तरमीम है का प्रार्थना पत्र अधि0 न्याया0 (उपखण्ड अधिकारी, माण्डल) में प्रस्तुत किया। अधि0न्याया0 ने दिनांक 17.05.2016 को प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आराजी ख0नं0 2976/1608 के बीच में निकली सडक की चौडाई के बराबर रकबा सडक में छोडते हुए, सडक के दोनों तरफ कब्जानुसार 3 बीघा रकबे के बराबर तरमीम दुरूस्त किये जाने एवं नक्शे में मूल नम्बर यथावत रखते हुए बढते नम्बर अंकित कर पृथक-पृथक नम्बर अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये है, वह विधिनुसार है। अतः अपीलांट अपील निरस्त फरवायी जावें।

9- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निर्णित करना उचित समझते है। न्यायालय इस बात से सहमत है कि पद रिक्त होने,चुनाव होने एवं पीठासिन अधिकारी जल्दी-जल्दी स्थानांतरण से अपील समय पर प्रस्तुत नहीं की जा सकी। तथा अपीलांटा प्रार्थना पत्र धारा 5 अन्दर मियाद मानते हुए देरी को क्षमा किया जाता है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

10- प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 के साथ धारा 136 का अवलोकन किया गया। धारा 136 के अनुसार "गलतियों का शुद्धिकरण - भू-अभिलेख अधिकारी किसी भी [illegible] लिपिकिय गलती एवं ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार - अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें।'' तत्पश्चात विद्वान उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अधि0न्याया0 की पत्रावली में आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधि0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 12.04.2016 में प्रकरण पर्चा मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु नियत किया गया था तथा आगामी तारीख पेशी 10.05.2016 अंकित की गई लेकिन प्रकरण दिनांक 10.05.2016 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध नहीं कर सीधे ही दिनांक 17.05.2016 को लोक अदालत केम्प कोर्ट पीथास में रखी जाकर प्रकरण का निस्तारण किया गया है जो विधिक प्रावधानों तथा नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्वान्तों के पूर्णतय विपरीत है। इस तरह कैम्प कोर्ट में प्रकरण को रखा जाकर निर्णित किया जाना पूर्णतः अवैधानिक है। मौका रिपोर्ट दिनांक 01.04.2016 को अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी ख0नं0 2976/1608 का रकबा 03 बीघा नक्शा तरमीम में रकबा पूर्ण है तथा प्रार्थिया ने आराजी ख0नं0 2973/1608 किस्म चारागाह की भूमि रकबा 16 बिस्वा की हद तक अतिक्रमण कर रखा है, जिसके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही जारी है। अपी0 द्वारा अपनी अपील मीमो में अंकित किया है कि रेस्पो0 की खातेदारी भूमि के मध्य रास्ता किस प्रकार व किस विभाग द्वारा कब बना दिया गया जबकि राजस्व रिकार्ड व नक्शे में रास्ते का कोई विवरण ही दर्ज नहीं है। पत्रावली के उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत बिना तारीख पेशी के प्रकरण को लोक अदालत कैम्प कोर्ट पीथास में नियत कर पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एवं राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं धारा 136 के प्रावधानों पर विचार किये बिना अवैधानिक रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

11- एस डी ओ के निर्णय 17.05.2016 का अवलोकन किया गया है जिसके अनुसार ग्राम पीथास पटवार हल्का पीथास में स्थित लाडी देवी खातेदारी आराजी नं2976/1608 के बीच में निकली सड़क चौड़ाई के बराबर रकबा सड़क में छोडते हुए सड़क के दोनों तरफ कब्जा अनुसार तीन बीघा रकबे के बराबर तरमीम दुरूस्त की जायें।

12- वकील रेस्पोडेंट द्वारा बहस के दौरान केशुराम बनाम यू आई टी उदयपुर में राजस्व मण्डल अजमेर-2005(2 आरआरटी-774) में दिये गये निर्णय प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण भूमि अवाप्ति से संबंधित होकर खोले गये नामांतकरण से जुड़ा हुआ है जबकि वर्तमान प्रकरण में सैल-डीड के आधार पर भूमि क्रय कर तरमीम से संबंधित था उक्त साइटेशन वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के क्रम में स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 17.5.16 पत्रावली सूचीबद्ध नहीं होने के उपरांत भी फैसला किया है जो गलत है साथ ही 17.5.16 के आदेश से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से परे जाकर लाडी देवी को वादग्रस्त खसरा नं में से निकलने वाली सड़क की चोड़ाई के बराबर अतिरिक्त रकबा तरमीम करने के अवैधानिक आज्ञा

दी है। चूंकि यह स्पष्ट नही है कि उक्त सड़क आवंटन के बाद मूल आवंटी के समय में बनी थी अथवा 2006 मे लाडी देवी द्वारा भूमि क्रय करने के बाद बनी हो। लाडी देवी चाहे तो सक्षम न्यायालय में जाकर भूमि के बदले मुआवजा प्राप्त कर सकती थी। जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा तरमीम के बहाने अतिरिक्त भूमि देने के आदेश किये गये है। तहसीलदार के अनुसार उक्त भूमि चरागाह भूमि है जिस पर कोई खातेदारी नहीं दी जा सकती है। साथ ही पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसी वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में लाडी देवी के नाम से प्रकरण 174/8 धारा 131 एल आर एक्ट के तहत एस डी ओ माण्डल द्वारा दिनांक 16.2.10 को निर्णित किया गया। और फिर पुनः 286/12 नं से लाडी देवी द्वारा एस डी ओ माण्डल में दर्ज करवाकर दिनांक 17.5.16 से उक्त अपीलाधीन फैसला प्राप्त किया गया है। उक्त प्रकरण धारा 131 एल आर एक्ट के तहत दर्ज करवाया गया अर्थात् लाडी देवी द्वारा प्रथम प्रकरण जिसका निर्णय 16.2.10को हुआ था इजराय न करवाकर नये सिरे से पुनः 286/12 प्रकरण दर्ज करवाया जो कि गलत है। अतः न्यायालय तहसीदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 52/2019 को स्वीकार करते हुए चूंकि लाडी देवी द्वारा मूल आवंटी से रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र द्वारा भूमि क्रय की गई है। जिसमें यही माना जायेंगा कि लाडी देवी द्वारा पूरी तीन बीघा भूमि क्रय की गई थी। तहसीलदार के अनुसार पूर्व में लाल स्याही से तरमीम पूर्व में की जा चूकी है। अब नये सिरे से तरमीम करने की आवश्यकता नहीं है। अब लाडी देवी चाहे तो सक्षम न्यायालय मे जाकर उसकी भूमि में निर्मित सड़क मामले में संबंधित विभाग से मुआवजा प्राप्त कर सकती है। तहसीलदार माण्डल रेस्पोडेन्ट लाडी देवी द्वारा चारागाह में किये गये अतिक्रमण को तुरंत हटाये।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 52/2019 (2019/00052) बउनवानी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल बनाम लाडी देवी (वास्ते खसरा नं0 2976/1608 रकबा 3 बीघा ग्राम पीथास)को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, माण्डल का निर्णय दिनांक 17.05.2016(अपील अधीन) को विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक ..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:43:00 IST
Reason: SelfAttested